फर्द अहकाम

(नियम–26)

अज अदालत अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

श्यामुडी पुत्री स्व. नारायण मेघवाल निवासी हाल पालोद, तहसील डूंगला

बनाम

श्रीमति रूकमणी पत्नि स्व. नारायण मेघवाल निवासी किशनकरेरी वगैरा

प्रकरण संख्या 14/2019 (नि.पं.)

तारीख हुक्म	*हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज*	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.06.24	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष अनुपस्थित। रूक–रूक कर तीन चार बार आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष तथा उसके अधिवक्ता में से कोई उपस्थित नहीं। उभय पक्ष पूर्व में भी पेशी दिनांक 24.08.2022 तथा 05.06.2024 को भी बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे हैं तथा पूर्व पेशी पर इन्हें अनुपस्थित रहने से इन्हें न्यायहित में अन्तिम अवसर दिया गया था फिर भी उभय पक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं अर्थात् वे अपने प्रकरण के प्रति गम्भीर नहीं हैं। पुनः न्यायालय समय में रूक–रूक कर आवाजें लगवाई गई फिर भी उभय पक्ष में से कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत का अभिलेख मय आदेश की प्रति के BDO, डूंगला के मार्फत् प्रेषित किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	